



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,

इन्दौर 452 001

दिनांक 19 MAY 2023

कमांक स्था / CAS/2023 / 578

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक (स्ववित्त)
विश्वविद्यालयीन अध्ययनशालाएं
दे.अ.वि.वि. इन्दौर


विषय- केरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत यू.जी.सी. रेग्युलेशन
(4th Amendment Regulation 2018) के प्रावधानानुसार प्रदोन्नति हेतु
पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26.4.2023 में लिये गये निर्णयानुसार यू.जी.सी. रेग्युलेशन (4th Amendment Regulation 2018) के अन्तर्गत आपके विभाग में कार्यरत सभी शिक्षक जो कि केरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति की पात्रता रखते हैं वे अपने आवेदन पत्र (PBAS profarma for promotion under CAS) प्रोफार्मा विश्वविद्यालय की वेबसाईट से प्राप्त कर विभागाध्यक्ष के माध्यम से अभिवचन पत्र सहित पत्र जारी होने के 15 दिवस में समस्त दस्तावेजों सहित 5 प्रतियों में स्थापना विभाग में प्रस्तुत करें।

जो शिक्षक केरियर एडवान्समेंट योजना CAS हेतु पूर्व में आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं वे अद्यतन स्थिति में पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,



कुलसचिव

दिनांक 19 MAY 2023

कमांक स्था / CAS/2023 / 578

प्रतिलिपि-

1- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि. इन्दौर
ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उप कुलसचिव (स्था)

578
दिनांक 19 MAY 2023
आवक लिपिक
के हस्ताक्षर